A-12018/5/2022-PWD/UD-SECRETARIAT-SecH-

1/153394/2024
E-750035

16903
05/11/24

अंडमान और निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Sri Vijaya Puram, dated the 4th November, 2024

COMPUTER CELL MUNICIPAL COUNCIL R.D.No. 512 Date 5/11/24

To

The Chief Editor
Daily Telegrams
Sri Vijaya Puram.

Sub:- Publication of news items in "The Daily Telegrams" for wide publicity – Reg.

Sir,

I am directed to request to publish the following news items in "The Daily Telegrams" for consecutive two days for wide publicity:-

A draft Notification & Schedule of Recruitment Rules for the post of Assistant Engineer (E&M) of SVPMC is published in the Administration's website (www.and.nic.in/ www.andaman.gov.in) for inviting claims and objection from stake holders as per Section 203 (1) of Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994. Suggestions/ objections, if any on these rules may be furnished to the Secretary (UD), A&N Administration, Sri Vijaya Puram within a period of 30 days of its publication in the website.

Yours faithfully

Deputy Secretary (PWD)

4/11/2024

Copy to:-

1. The Secretary, Municipal Council, Sri Vijaya Puram for kind information.
2. The Manager, IT Cell (SVPMC) alongwith copy of draft Notification and Schedule of RRs for the post of Assistant Engineer (E&M) of SVPMC (in bilingual) with the request to upload the same in the SVPMC's website.

Deputy Secretary (PWD)

4/11/2024 04/11/24

अंडमान और निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Sri Vijaya Puram, dated the 25th October, 2024

NOTIFICATION

No........./ F.No.A-12018/5/2022-PWD/UD-SECRETARIAT-Sectt - In exercise of the powers conferred under Sub-Section 2(a) of Section 203 of the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994 and in supersession of earlier Recruitment Rules framed to this effect, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby proposes to make the following Rules regulating the method of recruitment to Group "B" (Municipal Services) post of **Assistant Engineer (E&M)** in the Establishment of Sri Vijaya Puram Municipal Council, Andaman and Nicobar Islands:-

Suggestions and objections are invited from the stake holders/persons to be affected thereby. The Suggestions and objections (if any), should reach to the Office of Secretary (UD), Secretariat, Andaman and Nicobar Administration, Sri Vijaya Puram within a period of 30 days of its publication in the Daily Telegram/official website.

1. Short title and Commencement:-

(i) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Sri Vijaya Puram Municipal Council) Group "B" (Municipal Services) post of **Assistant Engineer (E&M)** Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. No. of posts, classification and scale of pay:-

The number of said posts, the classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2, 3 & 4 of the Schedule – I annexed hereto.

3. Method of Recruitment, age limit and qualification:-

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedules.

4. Disqualifications:- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

OR

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), A & N Islands is of opinion, that it is necessary or expedient to do so, he may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belongs to the OBC, Schedule Tribe and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Sd/-

(Admiral D.K. Joshi)
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman And Nicobar Islands

By order and in the name of Lieutenant Governor, A &N Islands

Deputy Secretary (UD)

SCHEDULE

SCHEDULE TO THE RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSITANT ENGINEER (E&M) IN SRI VIJAYA PURAM MUNICIPAL COUNCIL

1.	Name of Post	**Assistant Engineer (E&M)**
2.	No. of Post	05 (Five)* 2024 *Subject to variation dependent upon the workload
3.	Classification	Group 'B' (Municipal Services)
4.	Level in the Pay Matrix	Level – 7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix
5.	Whether selection or non-selection post?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other Qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct rect. Or by promotion or by deputation/ absorption & % of the vacancies to be filled by various methods.	100% by promotion failing which by deputation
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	**Promotion:** From amongst the Junior Engineer (E&M) of the Council in the Pay Level - 6 (Rs. 35400-112400) with 5 (five) years regular service in the grade. **NOTE:** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provide they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation:** a. Officers of the Central Government/State Government or Union Territories i. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Or ii. With 05 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the grade in Pay Level- 6 (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; AND

		b. Possessing following qualifications and experience:- i. Degree/ Diploma in Electrical/ Mechanical/ Electrical and Electronic/ Automobile/Air conditioner/Refrigerator Engineering from a recognized University/ Institution. ii. With experience of minimum 3 years in the field of supervision and execution of E&M work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central Govt. shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application)
12.	If a DPC exists what is its composition?	**DPC Composition as per rule 5(3) of A&N Islands Municipal Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 2008:-** 1 Secretary, UD — Chairman 2 Secretary, SVPMC — Member 3 Officer of the rank of Assistant Secretary(UD) or above, A&N Administration — Member 4 Two experts to be nominated by chief Secretary, A&N Administration — Member
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Annexure to Schedule

Duties of the Assistant Engineer (E&M) are as under :-

1. A Sub-Divisional Office under the charge of an Assistant Engineer is a field unit responsible for supervision and execution of works, according to the norms and standards laid down in design drawing and estimates.

2. Preparation of the Work Accounts and Stores Accounts is the responsibility of the Assistant Engineer concerned. He has to ensure the proper maintenance of the store under his charge, their Accounts both quantitatively as well as in monitory terms and weeding out un-serviceable stores.

3. He is also required to inspect the buildings, structure, areas and equipment's under his charge once every six months (to inspect their condition from safety point of view) and record a certificate to the effect.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवचालय/SECRETARIAT

****

श्री विजयापुरम, दिनांक 25 अक्तूबर, 2024

<u>अधिसूचना</u>

सं...............फा. सं. ए-12018/5/2022-लो.नि.वि./श.वि.-सचिवालय-Sectt–अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 203 की उप-धारा 2(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में बनाए गए पूर्व के भर्ती नियमावली का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की स्थापना में **सहायक अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिकी)** के वर्ग "ख" (नगरपालिका सेवाएँ) में भर्ती की पद्धतियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाने का प्रस्तावकरते हैं :-

हितधारकों/इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। सुझाव एवं आपत्तियाँ(यदि हो), तो इस अधिसूचना के दि डेली टेलीग्राम/द्वीप समाचार/ आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सचिव(शहरी विकास) का कार्यालय, सचिवालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजयपुरम में पहुँच जानी चाहिए।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-**
   (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद्) सहायक अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिकी) वर्ग "ख" (नगरपालिका सेवाएँ) पद भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाएगा।
   (ii) ये इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **<u>पदों की संख्या,वर्गीकरण तथा वेतनमान:-</u>**
   उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ अनुलग्न अनुसूची -। के पैरा 2,3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. **<u>भर्ती की पद्धति,आयु सीमा तथा योग्यताएँ:-</u>**
   उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

4. अयोग्यताएँ :-

कोई भी व्यक्ति उक्त पद के लिए पात्र नहीं होंगे जिसने-

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिनकापति/पत्नी जीवित है,

अथवा

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परन्तुउप राज्यपाल(प्रशासक),अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में यह समाधान हो जाने पर, कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है,किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति :-

जहाँ उपराज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

6. व्यावृत्तियाँ

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य अपेक्षित रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियोंतथा अन्य निधारित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है ।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

पाण्डीवलमल

उप सचिव **(श.वि.)**

अनुसूची

श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद् में सहायक अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के लिए भर्ती नियमावली की अनुसूची

1.	पदनाम	**सहायक अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिकी)**
2.	पदों की संख्या	05(पाँच)*2024*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	वर्ग "ख" (नगरपालिका सेवाएँ)
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	स्तर – 7, (₹44900/- - 142400/-)
5.	चयन पद या गैर चयनपद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति:** वेतन स्तर-6(₹35400 – 112400) में परिषद् के कनिष्ठ अभियंता में से जिन्होंने इस ग्रेड में 5(पाँच) वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टीप :** जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा, ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष से भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ, जो ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

		प्रतिनियुक्ति: क. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी; **अथवा** ii. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन स्तर- 6 (₹35400 – 112400) में इसी ग्रेड या समकक्ष में 05 वर्षों की नियमित सेवा की हो। **तथा** ख. निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखता हो :- i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमोबाइल/एअर कंडीशनर/रेफ्रीजरेटर इंजीयरिंग में डिग्री/डिप्लोमा। ii. विद्युत एवं यांत्रिकी कार्य के पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधिसहित अन्य संवर्ग बाह्य पद में नियुक्ति की अवधि, जो इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व समान अथवा किसी अन्य संगठन/ केन्द्रीय सरकार के विभागमें रही हो, साधारणत: चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगरपालिका सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 2008 के नियम 5(3) के तहत विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:** 1. सचिव(शहरी विकास), - अध्यक्ष 2. सचिव , एसवीपीएमसी - सदस्य 3. सहायक सचिव(श.वि.) या उससेऊपर के पद के अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन - सदस्य 4. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

<u>अनुसूची का अनुलग्नक</u>

<u>सहायक अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिकी) केकार्य इस प्रकार है:-</u>

1. सहायक अभियंता के प्रभार के तहत उप-मंडलीय कार्यालय एक फील्ड यूनिट है, जो डिजाइन ड्रॉइंग और प्राक्कलन में निर्धारित मानदण्डों और मानकों के अनुसार कार्यों के पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

2. कार्य और भण्डार का लेखा-जोखा तैयार करना संबंधित सहायक अभियंता का उत्तरदायित्वहै। उन्हें अपने प्रभार के तहत भंडार का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना होगा,उनका मात्रात्मक और मौद्रिक दोनों तरह से लेखा-जोखा रखना होगा और अनुपयोगी भण्डार को हटाना होगा।

3. उसे प्रत्येक छ: माह में एक बार अपने अधीन आने वाले भवनों, संरचनाओं, क्षेत्रों और उपकरणों का निरीक्षण (सुरक्षा की दृष्टि से उनकी स्थिति का निरीक्षण करना) करना होगा और इस आशय का प्रमाणपत्र भी रिकॉर्ड करना होगा।

****